भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1573
मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>रूफटॉप सौर क्षमता</u>

1573. श्रीमती फूलो देवी नेतम: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में रूफटॉप सौर क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में छतों पर सौर पैनल लगाने में कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छतों पर सौर पैनल लगाने की लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान इसकी लागत में कितनी कटौती हुई है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष दिनांक 30.11.2022 तक के दौरान देश में कुल 6657.50 मेगावाट ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित कर लिए जाने की सूचना दी गई है। राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-**I** में दिए गए हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, मासिक औसत लगभग 160 मेगावाट के साथ कुल 1.94 गीगावाट ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित कर लिए जाने की सूचना दी गई है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष दिनांक 30.11.2022 तक के दौरान मासिक औसत लगभग 140 मेगावाट के साथ कुल 1.11 गीगावाट ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित कर लिए जाने की सूचना दी गई है। स्थापना में यह कमी सौर मॉड्यूलों में आपूर्ति श्रृंखला की बाधा, रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निविदा में विलंब, डिस्कॉमों द्वारा नेट मीटर के अनुमोदन एवं स्थापना में विलंब सहित विभिन्न कारणों की वजह से हुई है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में रूफटॉप सौर को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान रूफटॉप सौर की बेंचमार्क लागत में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। किए गए प्रमुख उपाय अनुलग्नक-**II** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-I

"रूफटॉप सौर क्षमता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.12.2022 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1573 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

पिछले पांच वित्त वर्षों में और चालू वित्त वर्ष - दिनांक 30.11.2022 तक स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता (मेगावाट में)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.69
2.	आंध्र प्रदेश	143.77
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.22
4.	असम	28.59
5.	बिहार	18.55
6.	चंडीगढ़	38.41
7.	छत्तीसगढ़	36.94
8.	गोवा	22.76
9.	गुजरात	2037.62
10.	हरियाणा	358.83
11.	हिमाचल प्रदेश	18.58
12.	जम्मू एवं कश्मीर	20.94
13.	झारखंड	28.59
14.	कर्नाटक	283.08
15.	केरल	322.44
16.	मध्य प्रदेश	213.75
17.	महाराष्ट्र	1230.54
18.	मणिपुर	4.92
19.	मेघालय	0.20
20.	मिजोरम	1.56
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	154.72
22.	ओडिशा	16.46
23.	पुडुचेरी	34.50
24.	पंजाब	169.09
25.	राजस्थान	762.48
26.	सिक्किम	2.67
27.	तमिलनाडु	264.65
28.	तेलंगाना	254.44
29.	त्रिपुरा	3.04
30.	उत्तर प्रदेश	97.71
31.	उत्तराखंड	46.83
32.	पश्चिम बंगाल	37.95
	कुल	**6657.50**

<u>अनुलग्नक-**II**</u>

"रूफटॉप सौर क्षमता" के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.12.2022 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1573 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

देश में रूफटॉप सौर को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:-

- किसी वर्ष में, विगत वर्ष की स्थापित आरटीएस क्षमता से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता हासिल करने के लिए आवासीय क्षेत्र के लिए सीएफए और डिस्कॉम के लिए स्लैब में प्रोत्साहन के साथ रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II की शुरुआत।
- नेशनल पोर्टल की शुरुआत, जहां देश के किसी भाग के आवासीय उपभोक्ता रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं और कार्यक्रम के तहत सब्सिडी सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं।
- डिस्कॉम स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण और आरटीएस परियोजनाओं से संबंधित मांग का एकत्रीकरण।
- सरकारी क्षेत्र में आरटीएस परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए मॉडल एमओयू, पीपीए और कैपेक्स करार तैयार करना।
- पाँच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड, इनमें से जो भी कम हो, तक नेट मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियमावली, 2020 जारी की गई है।
- परियोजना अनुमोदन, रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में तेजी लाने और आरटीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है।
- विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से रियायती ऋण को सुविधाजनक बनाना।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण हेतु आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत अक्षय ऊर्जा शामिल की गई।
- वर्ष 2030 तक अक्षय खरीद बाध्यता (आरपीओ) की ट्रेजेक्टरी की घोषणा।
- अधिसूचित सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की तैनाती के लिए गुणवत्ता मानक।
- आरटीएस के लिए नवोन्मेषी बिजनेस मॉडल तैयार किया गया।
- विभिन्न माध्यमों के जरिए सूचना एवं जनजागरूकता गतिविधि।

*****